राजस्थान सरकार

निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

विज्ञापन संख्या 2013/3 दिनांक: 16..07..2013

राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 1999 तथा समय समय पर होने वाले संशोधित नियमों के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर सीधीभर्ती हेतु आवेदन–पत्र आमंत्रित किए जाते है, कुल रिक्त पदों की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदो की संख्या निम्नानुसार है :–

स्वीकृत पद 211	अनु.जाति– 33				अनु.जनजाति– 25			अन्य पिछडा वर्ग–44				विशेष पिछडा वर्ग–2		सामान्य–107					योग
	महिला	भू0पू0सै0	खिलाडी	अन्य	महिला	निःशक्त	अन्य	महिला	भू0पू0सै0	खिलाडी	अन्य	महिला	अन्य	महिला	निःशक्त	भू0पू0सै0	खिलाडी	अन्य	
अनुसूचित क्षेत्र हेतु	–	–	–	1	2	–	6	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	6	17
सहरिया आदिम जाति हेतु	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
शेष	9	4	2म	17	2	4 म	11	9	2 म 6 पु	–	27	–	2	25	2	6 म 7 पु	–	59	194
भर्ती के कुल पद	9	4	2म	18	4	4 म	17	9	2 म 6 पु	–	27	–	2	27	2	6 म 7 पु	–	65	211

क्रम संख्या 1 पी.बी.1 एस (4850–7440) ग्रेड पे 1300 देय होगी ।

नोटः– 1) भर्ती हेतु आवश्यक शर्ते, यथा आयु आरक्षण सम्बधीं विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट www.dmg-raj.org, www.dmgraj .gov. in एवं निदेशालय नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है एवं उसी के साथ आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है । 2) आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से दिनांक 19.08.2013 तक निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर के आवक–जावक अनुभाग कमरा नम्बर 123 में रखे गये बॉक्स में सायं छः बजे तक डाल सकते हैं । निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे । 3) आवेदन शुल्क सामान्य एवं अ.पि वर्ग हेतु रू. 100/– व अ.जा., अ.ज.जा. एव निःशक्त हेतु रू. 50/– देय है । यदि किसी प्रवर्ग में उपयुक्त अभ्यर्थि प्राप्त नहीं होते है तो उस प्रवर्ग की रिक्तियां उसी श्रेणी /वर्ग के अभ्यर्थीयों से भरी जा सकेगी। अतः महिला, भूतपूर्व सैनिक एवं खिलाडी के पद जिस प्रवर्ग में है उनके लिये उस वर्ग से सम्बन्धित अन्य अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते है। उदाहरणार्थ अ.जा.महिला उपलब्ध नहीं होने पर अ.जा. पुरूष वर्ग से , भूतपूर्व सैनिक व खिलाडी उपलब्ध न होने पर उसी प्रवर्ग के अन्य पुरूष से भरा जा सकेगा ।विधवा एवं परित्याक्ता महिला हेतु आरक्षण नियमानुसार होगा। आवेदन शुल्क **Coordinator Recruitment 2013** के नाम उदयपुर में देय होगा ।

16-7-13

निदेशक

खान एवं भू विज्ञान विभाग

राजस्थान, उदयपुर

राजस्थान सरकार

निदेशालय,खान एवं भू विज्ञान विभाग,राजस्थान उदयपुर।

विज्ञापन संख्या 2013/3 दिनांक 16..07..2013

भर्ती हेतु आवश्यक शर्ते

1. विज्ञापित पदों में राजस्थान के अ.जा./अ.ज.जा. के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदो को राजस्थान चतुर्थश्रेणी कर्मचारी सेवा नियम 1999 के नियम 7 के उपनियम (4) के प्रावधानान्तर्गत तब तक अग्रनीत किया जायेगा जब तक यथास्थिति, राजस्थान के अजा./अ.ज.जा. के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जातें। किन्हीं भी परिस्थितियो में राजस्थान के अ.जा./अ.ज.जा. के अभ्यर्थियो के लिये आरक्षित पदों को अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जायेगा।
2. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यो के अ.जा./अ.ज.जा./पि.व./वि.पि.व. के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा।
3. विभाग द्वारा भरे जाने वाले उक्त रिक्त पदों में महिला, निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु आरक्षित पद का आरक्षण दण्डवत रूप से होगा, परन्तु जिस प्रवर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध होगें उसे सम्बन्धित प्रवर्ग में, जिसके वे अभ्यर्थी हैं, उसे उस ही प्रवर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा। महिला अभ्यर्थियों के लिये रिक्तियों का आरक्षण प्रवर्गानुसार 30 प्रतिशत होगा, जिसमें से 8 प्रतिशत विधवा महिला अभ्यर्थियों तथा 2 प्रतिशत परित्यक्ता महिला अभ्यर्थियों के लिए होगा।
4. किसी वर्ग (सामान्य,अनुसुचित जाति, अनुसुचित जन जाति, पिछड़ा वर्ग विशेष पिछड़ा वर्ग) के पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होनें की दशा में उस पद को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।
5. विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी जाति (अ.जा./अ.ज.जा./पि.व./वि.पि.व) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
6. राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होनें पर इन पदो को नियमानुसार सामान्य प्रकिया से भरा जाएगा।
7. निःशक्तजन के लिये दर्शाए गये आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, इन पदो को राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के अनुसार भरा जाएगा तथा नियम 5(4) के अनुसार निःशक्तजन व्यक्तियो की अनुपलब्धता के कारण या अन्य किसी भी पर्याप्त कारण के, पद भरा नहीं जा सकता हो वहॉ ऐसी रिक्ति को 3 भर्ती वर्षो तक अग्रनीत किया जायेगा।
8. ऐसे आवेदक जो निःशक्ता की श्रेणी में आते हैं, अपनी निःशक्तता के सम्बन्ध में राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के अनुसार राजस्थान राज्य के किसी राजकीय अस्पताल में गठित मेडीकल बोर्ड (राजस्थान राज्य के नियमानुसार गठित तीन चिकित्सा अधिकारी वाला बोर्ड) द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता का होने पर ही आवेदक निःशक्त व्यक्तियो हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जायेगा।
9. उत्कृष्ट खिलाड़ियो से अभिप्रेत हैं और उसमें सम्मिलित है, राज्य से ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अर्न्तराष्ट्रिय ओलम्पिक समिति और भारतीय ओलम्पिक संघ, द्वारा मान्यता प्राप्त स्पोर्टस और खेलों में या बैडमिन्टन, टेनिस, शंतरज और क्रिकेट में उनसे सम्बन्धित राष्ट्रिय स्तर के संघ, फैडरेशन या बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त अर्न्तराष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में निम्नलिखित विवरणानुसार व्यक्तिशः या टीम के सदस्य के रूप में भाग लिया हो :-

    एशियाई खेलों, एशियाई चैम्पियनशिपों, राष्ट्रमण्डल खेलों, विश्व चैम्पियनशिपों, विश्व के विश्वविद्यालय खेलों, विश्व स्कुल खेलों दक्षेस खेलों या ओलम्पिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो, जहां उसने (किसी व्यक्तिगत आईटम में) या उसकी टीम ने(टीम स्पर्धा में) प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किया हों।

10. अभ्यर्थियों का अन्तिम चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा ।
11. विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विभाग द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या मे कमी या वृद्वि की जा सकती हैं।
12. पेंशनः–नये नियुक्त होने वाले कर्मचारियों पर अशंदायी पेंशन योजना लागु होगी।
13. राज्य सरकार की अधिसुचना प.1(2)एफ.डी./रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006 एवं प.12(6)एफ.डी./रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार एवं वित्त विभाग की अधिसुचना संख्या प.11(7) वित्त (नियम) 2008 दिनांक 12.09.2008 के नियम 21(अनुसुची–4)के अनुसार 2 वर्ष की परिविक्षा प्रशिक्षण अवधि के लिये नियत पारिश्रमिक पर नियुक्ति दी जावेगी।
14. ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्य भार स्वीकार करता है, परिविक्षा की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत दर से मासिक नियत, पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा। भर्ती नियमों में उल्लेखित परिविक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की दिनांक से ही नियमित वेतन श्रंखला एवं भत्ते देय होगे।

आयु:– राजस्थान चतुर्थश्रेणी कर्मचारी सेवा नियम 1999 के अनुसार आवेदक 1 जनवरी 2014 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 35 वर्ष का नहीं हुआ हो, परन्तु यह कि उपर उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में :–

1 अनुसुचित जाति/अनुसुचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को, जो राजस्थान के मूल निवासी है, के मामले मे आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

2 सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छुट दी जायेगी।

3 पंचायत समितियों, जिला परिषदों, राजस्थान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के कारोबार में अधिष्ठायी (Substantive) रूप से कार्यरत व्यक्तियो के लिये अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होंगी

4 रिजर्विस्टों अर्थात रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कार्मिकों और भूतपूर्व सैना कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

भूतपूर्व सैना कार्मिकों हेतु राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियमानुसार उच्चतम आयु सीमा 50 वर्ष में सैन्य क्रास/वीरचक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिलन योग्य होगी।

5 विधवाओ और विछिन्न–विवाह महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

स्पष्टीकरण : विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विछिन्न विवाह महिला के मामले मे उसे विछिन्न विवाह की डिक्री/न्यायिक सबूत प्रस्तुत करना होगा।

6 एन.सी.सी. के कैडिट–प्रशिक्षको के मामले मे अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. मे की गई सेवा की कालाअवधि के बराबर छूट दी जायेगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जायेगा।

7 राजस्थान निःशक्तजन का नियोजन नियम 2000 के अन्तर्गत सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 10 वर्ष,पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 13 वर्ष तथा अनुसुचित जाति/अनुसुचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये 15 वर्ष की छूट होगी।

8 भूतपूर्व कैदी के मामले में, जो दोषसिद्वि से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी (Substantive) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमो के तंहत नियुक्ति का पात्र था, के लिये अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगीं।

9 अन्य भूतपूर्व कैदी के मामले में, जो दोषसिद्वि से पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति के लिए पात्र था, के मामले मे कारावास मे व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।

उपरोक्त आयु सम्बन्धी वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cummulative" है अर्थात अभ्यर्थी को उपरोक्त वर्णित किसी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों में विहित छूट जोंड़कर छूट का लाभ देय नहीं होंगा।

<u>नियुक्ति के लिये अयोग्यता:–</u>

1 किसी भी ऐसे पुरूष/महिला अभ्यर्थी को जिसके एक से अधिक जीवित पत्नि/पति हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती हैं, यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार हैं।

2 किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरूष से विवाह किया हैं, जिसके पहले जीवित पत्नि है, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती हैं,यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार हैं।

3 किसी भी विवाहित पुरूष/महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा, यदि अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा। स्पष्टीकरण–इस नियम के प्रयोजन हेतु दहेज से वहीं तात्पर्य होगा, जो दहेज प्रतिषेध एक्ट,1961(सेंन्ट्रल एक्ट, 28 ऑफ 1961) में है।

4 राज्य सरकार के परिपत्र कंमाक प.6(19)गृह –13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है।

5 राजस्थान लोक सेवा आयोग/राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस पद हेतु आवेदन नहीं कर पाएगें ।

6 ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके 1.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा ।

परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये तब तक निर्हित नही समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नही होती : – परन्तु यह और कि जहां किसी भी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते है वहा बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुये बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।

7. अभ्यर्थी लिखित व मौखिक सिफारिश करवाता है तो नियुक्ति के लिये अयोग्य माना जावेगा ।
8. अपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेगे ।
9. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देश सर्वथा लागू होगे ।

आवेदन शुल्क :–

(1) सामान्य , अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग आवेदक हेतु – रुपया 100/–

(2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःशक्तजन के आवेदक जो राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी है – रूपया 50/–

(3) निःशक्तजन श्रेणी के समस्त आवेदक (जिसमें अ.जा./अ.ज.जा./पि.व./वि.पि.व./सामान्य सभी श्रेणी के निःशक्त जन सम्मिलित है) के आवेदकों हेतु रुपया 50/–

1. आवेदन अपनी श्रेणी के अनुसार विज्ञापन में यथा निर्दिष्ट शुल्क राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर से **Coordinator Recruitment 2013** के नाम पर बना हुआ एवं उदयपुर में देय होगा ।
2. आवेदक डिमाण्ड ड्राफ्ट के पृष्ठ भाग पर सुस्पष्ट अक्षरों में आवेदन का पूरा नाम एवं आवेदित पद अवश्य लिखेगा।
3. आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से दिनांक 19.08.2013 तक निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर के आवक–जावक अनुभाग 123 में रखे गये बॉक्स में कार्यालय समय में डाल सकते है। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार्य नही होगे चाहे डाक व्यवस्था से विलम्बित ही क्यों नहीं हुए हो ।
4. आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पत्ता लिखा हुआ 9" गुणा 4" साईज का लिफाफा जिस पर रुपया 25/– का डाक टिकिट लगा हो, संलग्न करना आवश्यक है ।

16-7-13

निदेशक
खान एवं भूविज्ञान विभाग
राजस्थान, उदयपुर

राजस्थान सरकार

निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान,उदयपुर ।

(भर्ती हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप)

विज्ञप्ति कमांक 2013/3 दिनांक 16.07.2013

(अपूर्ण भरे फार्म अमान्य होगें)

पासपोर्ट साईज फोटो जो हाल ही में खीचवाया हो तथा राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित हो

1. पद जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है । **चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी**
2. नाम (हिन्दी में)
3. नाम अग्रेंजी (बडे अक्षरों में)
4. पिता का नाम
5. स्थाई निवास का पता
6. डाक का पता
7. राष्ट्रीयता
8. वैवाहिक स्थिति विवाहित/अविवाहित
9. विवाहित है तो सन्तानों की सख्यां एवं प्रत्येक की जन्म तिथी
   1–.. .2 .... 3 ....

31.05.2002 तक जीवित सन्तानों की संख्या	**31.05.2002 के पश्चात जीवित सन्तानों की संख्या**	योग

10 अभ्यर्थी की जन्म तिथी (प्रमाण पत्र सलग्न करें)

11 अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2014 को वर्ष .... माह .... दिन ....

12 वर्ग (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति साथ सलग्न करें) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व /वि.पि.व /सामान्य /विधवा/ परित्यक्ता/विकलांग (✔ करें)

13 मूल निवास (प्रमाण पत्र की प्रति साथ सलग्न करें)

14. शैक्षणिक योग्यता:– (प्रत्येक की प्रमाणित प्रति सलग्न करें)

उत्तीण परीक्षा का नाम	**वर्ष**	**श्रेणी**	**प्राप्तांक/प्रतिशत**	**स्कुल/बोर्ड/यूनिवर्सिटी का नाम**
कक्षा पांचवी				
कक्षा आठवीं				
कक्षा दसवीं				
कक्षा बारवीं				
स्नातक				
स्नात्कोतर				

आवेदन शुल्क रूपया .... का डी.डी/पोस्टल ओडर संख्या............................. दिनांक ....
जारी करने वाले का नाम.. जो **Coordinator Recruitment 2013** के नाम उदयपुर में देय होगा।

घोषणा

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त समस्त सूचना सत्य है ।

सलंग्नः
दिनांकः

आवेदक के हस्ताक्षर